

**अनुदान संख्या 53 – लक्षद्वीप**  
**GRANT No. 53 - LAKSHADWEEP**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -  (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	1174,84,00		
			1174,86,00	1138,65,96
				-36,20,04
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			21,02,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	201,62,00		
			201,67,00	102,25,81
				-99,41,19
पूरक	Supplementary	5,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			96,64,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “2202”	Major Head “2202”			
सामान्य शिक्षा	General Education			
मू.	O.	16352.00		
			15446.00	15189.62
				-256.38
पु.	R.	-906.00		

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess + (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"			
विद्युत	Power			
मू.	O.	12113.00		
			14421.00	14476.24
पु.	R.	2308.00		+55.24
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"			
नागर विमानन	Civil Aviation			
मू.	O.	7785.00		
			6759.00	6768.46
पु.	R.	-1026.00		+9.46
(I)	₹389.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।	(I)	Provision of ₹389.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads.	
(II)	मुख्य शीर्ष "2202" – "सामान्य – ग्राम पंचायतों को सहायता – पंचायतें" – ₹850.00 लाख की बचत (₹2650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से पंचायतों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।	(II)	Under Major Head "2202" - "General - Assistance to Gram Panchayats - Panchayats" - saving of ₹850.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2650.00 lakhs) was due to delay in receipt of utilization certificates from panchayats owing to COVID - 19 pandemic.	
(III)	मुख्य शीर्ष "3053" – "हवाई सेवाएं – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – विमान संचालन के लिए वीजीएफ" – ₹1043.85 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोच्चि – अगात्ती उड़ान मार्ग के कोविड-19 महामारी की वजह से अस्थायी रूप से निलंबित होने से व्यवहार्यता अंतर निधियन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।	(III)	Under Major Head "3053" - "Air Services - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - VGF for Aircraft Operation" - saving of ₹1043.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Viability Gap Funding for Kochi-Agatti flight route which was temporarily suspended owing to COVID - 19 pandemic.	
(IV)	पाँच शीर्षों के अंतर्गत ₹1881.08 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से	(IV)	Under five heads savings of ₹1881.08 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not	

कम और स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत से 71 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “2801” – “डीजल/गैस विद्युत उत्पादन – लक्षद्वीप में विद्युत आपूर्ति – विद्युत संयंत्र और अनुषंगी कार्य” – ₹2399.09 लाख का अधिक व्यय (₹11888.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हाई स्पीड डीजल की कीमत में वृद्धि होने की वजह से विद्युत उत्पादन के लिए हाई स्पीड डीजल की खरीद किए जाने से संबंधित रिक्त पदों को भरे जाने और एमएसीपीएस दिए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹329.78 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 27 percent to 71 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head “2801” - “Diesel/Gas Power Generation - Supply of Electricity in Lakshadweep - Power Plant and Ancillary works” - excess of ₹2399.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11888.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of High Speed Diesel for power generation owing to hike in High Speed Diesel price, filling up of vacant posts and awarding of MACPS.

(II) Under one head excess of ₹329.78 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head					
मुख्य शीर्ष “4801” विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4801” Capital Outlay on Power Projctes				
मू.	O.	1300.00	320.00	287.88	
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-981.00			-32.12
मुख्य शीर्ष “5052” पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “5052” Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	6300.00	235.00	234.80	
पु.	R.	-6065.00			-0.20

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत –  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "5053"	Major Head "5053"				
नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	1500.00	950.00	933.71	-16.29
पु.	R.	-550.00			
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"				
सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	1400.00	750.00	748.00	-2.00
पु.	R.	-650.00			

(I) ₹395.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹395.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4801" – "डीजल/गैस उत्पादन – मशीनरी और उपकरण – विद्युत गृह" के अंतर्गत ₹1031.67 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से डीजीसेट, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत वितरण उपकरणों की खरीद के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4801" - "Diesel/Gas Generation - Machinery and Equipment - Power House" - saving of ₹1031.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to non-finalization of tender for purchase of DG sets, transformers and other power distribution equipments owing to COVID - 19 restrictions.

(III) मुख्य शीर्ष "5052" – "तटीय पोत परिहवन – टोनेज का अधिग्रहण और विस्तार" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं:-

(III) Under Major Head "5052" - "Coastal Shipping - Acquisition and Expansion of Tonnage" - savings occurred under the following heads: -

(का) "पोत का निर्माण" – ₹4841.05 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से कारगो/यात्री जहाजों के

(A) "Construction of Ships" - saving of ₹4841.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non-finalization of tender

लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) “बर्थिंग सुविधाएं” – ₹1224.15 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(IV) मुख्य शीर्ष “5053” – “हवाई अड्डा – एरोड्रम्स – एरोड्रम्स” – ₹566.29 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(V) मुख्य शीर्ष “5054” – “जिला और अन्य सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – लिंक रोड निर्माण कार्य” – ₹652.00 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कोविड-19 महामारी की वजह से नए और चालू निर्माण कार्यों को रुकने के कारण हुईं।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹588.87 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत और ₹90 प्रतिशत थीं।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹299.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष “5452” – “पर्यटक अवसंरचना पर्यटक आवास – निर्माण” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹297.17 लाख था।

for Cargo/passenger ships owing to COVID-19 restrictions.

(B) “Berthing Facilities” - saving of ₹1224.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs);

(IV) Under Major Head “5053” - “Airports - Aerodromes - Aerodromes” - saving of ₹566.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs); and

(V) Under Major Head “5054” - “District and Other Roads - Road Works - Construction of Link Roads” - saving of ₹652.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to new and ongoing construction works being held up owing to COVID - 19 pandemic.

(VI) Under two heads savings of ₹588.87 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 45 percent and 90 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (₹299.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head “5452” - “Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Building”. Actual excess, however, was ₹297.17 lakhs.